समाहरणालय, सिमडेगा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 677(ii)/आपूर्ति, दिनांक 01.12.15 एवं आदेश ज्ञापांक 16(ii)/आपूर्ति, दिनांक 08.01.2016 द्वारा उपावंटित खाद्यान्न में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह फरवरी 2016 के लिए सिमडेगा जिला को प्राप्त पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों हेतु 18787.615क्विं0 चावल/2398.485 क्विं0 गेहूँ का माह फरवरी 2016 के लिए निम्न प्रकार शहरी क्षेत्र/प्रखण्डवार उपावंटन किया जाता है।

क्र0	प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र का नाम	पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों के सदस्यों की संख्या	माह फरवरी 2016 तक खाद्यान्न का मासिक उपावंटन (क्विं0 में)		अभ्युक्ति
			चावल	गेहूँ	
1	सिमडेगा	51616	1290.40	1290.40	
2	शहरी क्षेत्र	22263	667.89	445.26	
3	पाकरटांड	26941	673.53	673.53	
4	जलडेगा	47855	1196.38	1196.38	
5	बांसजोर	19338	483.45	483.45	
6	ठेठईटांगर	59921	1498.03	1498.03	
7	कोलेबिरा	53963	1349.08	1349.08	
8	बानो	67535	1688.38	1688.38	
9	कुरडेग	29852	746.30	746.30	
10	करसइ	19426	485.65	485.65	
11	बोलबा	25012	625.30	625.30	
	कुल	423722	10704.365	10481.735	

2. पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ के प्रत्येक सदस्य को ग्रामीण क्षेत्र के लिए चावल--2.50कि0ग्रा0/गेहूँ 2.50 कि0ग्रा0 एवं शहरी क्षेत्र हेतु चावल--3.00कि0ग्रा0/गेहूँ--2.00कि0ग्रा0 1.00रुपये की दर से माह फरवरी 2016 के लिए उपावंटन किया जा रहा है।

3. सभी क्षेत्रीय आपूर्ति पदाधिकारियों अपने अपने प्रखण्डों से संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार से चावल के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट उपावंटन वाले माह के पूर्व माह की 7वीं तारीख तक जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गुमला में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

4. माह फरवरी 2016 के लिए आवंटित खाद्यान्न के क्रय राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि राज्य सरकार के पत्र संख्या 08/2013-BP-III (Vol II), दिनांक 22.09.2015 निर्गत की तिथि से 30 दिनों तक निर्धारित की गई है शेष माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि माह के पूर्व माह की अंतिम तिथि तक होगा।

5. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न की राशि समय पर जमा कर आवंटन माह के लिये खाद्यान्न का उठाव पूर्ववर्त्ती माह में निश्चित रुप से कर लें।

6. पूर्व मे आहार प्रवृत्ति(Dietary Habits) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूँ के बदले चावल का उपावंटन किया गया था। लेकिन जिला प्रबंधक, गुमला द्वारा गेहूँ के बदले चावल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। अतः पूर्व में उपावंटित चावल का समायोजन माह फरवरी 2016 में प्राप्त आवंटन से किया जा रहा है।

7. खाद्यान्न का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों/सदस्यों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से माह की पहली तारीख से किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ससमय भेजा जाय।

8. अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा उठाव किये गए चावल की मात्रा एवं वितरण का प्रतिवेदन संकलित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

ह0
उपायुक्त,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 58(ii)/आपूर्ति, दिनांक 30/01/2016

प्रतिलिपि :– 1 जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गुमला सह भारतीय खाद्य निगम, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी, सिमडेगा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक सिमडेगा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5. अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/16
उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।
(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 672(ii)/आपूर्ति, दिनांक 01.12.2015, आदेश ज्ञापांक 17(ii)/आपूर्ति, दिनांक 08.01.2016 एवं ज्ञापांक 57(ii)/आपूर्ति, दिनांक 30.01.2016 द्वारा उपावंटित खाद्यान्न में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह फरवरी 2016 के लिए सिमडेगा जिला को प्राप्त अन्त्योदय **अन्न योजना हेतु** 5403.03क्विं0 चावल एवं (माह अक्टुबर 15 से जनवरी 16 तक का अवशेष गेहूँ 2759.08क्विं0) कुल 3448.85क्विं0 गेहूँ को माह फरवरी 2016 के लिए निम्न प्रकार शहरी क्षेत्र/प्रखण्डवार उपावंटन किया जाता है।

क्र0	प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	माह फरवरी 2016 तक का खाद्यान्न का मासिक उपावंटन (क्विं0 में)		अभ्युक्ति
			चावल	गेहूँ	
1	सिमडेगा	2265	375.99	416.76	
2	शहरी क्षेत्र	489	102.69	68.46	
3	पाकरटांड़	1010	167.66	185.84	
4	जलडेगा	2789	462.97	513.18	
5	बांसजोर	861	142.93	158.42	
6	ठेठईटांगर	2943	488.54	541.51	
7	कोलेबिरा	1717	285.02	315.93	
8	बानो	2227	369.68	409.77	
9	कुरडेग	1804	299.46	331.94	
10	केरसई	978	162.35	179.95	
11	बोलबा	325	53.95	59.80	
कुल		17408	2911.24	3181.56	

2. अन्त्योदय परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए चावल–16.600कि0ग्रा0/गेहूँ–18.400कि0ग्रा0 एवं शहरी क्षेत्र हेतु चावल–21कि0ग्रा0/गेहूँ–14कि0ग्रा0 1.00रुपये की दर से फरवरी माह के लिए उपावंटन किया जाता है।

3. सभी क्षेत्रीय आपूर्ति पदाधिकारियों अपने–अपने प्रखण्डो से संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारो से चावल के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट उपावंटन वाले माह के पूर्व माह की 7वीं तारीख तक जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गुमला में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. माह फरवरी 2016 के लिए आवंटित खाद्यान्न के क्रय राशि जमा करने एवं उठाव की अवधि भारत सरकार के पत्र संख्या 08/2013-BP-III (Vol.II), दिनांक 22.09.2015 निर्गत की तिथि से 30 दिनों तक निर्धारित की गई है शेष माह के लिए उपावंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि माह के [illegible] माह की अंतिम तिथि तक होगी।

5 झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न को समय पर जमा कर आवंटन माह के लिये खाद्यान्न का उठाव पूर्ववर्ती माह में निश्चित रुप से लें।

6. पूर्व में आहार प्रवृत्ति(Dietary Habits) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूँ के बदले चावल उपावटन किया गया था। लेकिन जिला प्रबंधक, गुमला द्वारा गेहूँ के बदले चावल उपलब्ध कराने असमर्थता व्यक्त की गयी है। अतः पूर्व में उपावंटित चावल का समायोजन माह फरवरी 2016 प्राप्त आवंटन से किया जा रहा है।

7. खाद्यान्न का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों/सदस्यों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से माह की पहली तारीख से किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण विभाग को ससमय भेजा जाय।

8 अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा उठाव किये गए चाव की मात्रा एवं वितरण का प्रतिवेदन संकलित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 96 (ii) /आपूर्ति, दिनांक 13-02-2016

प्रतिलिपि :– 1 जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गुमला सह भारतीय खाद्य निगम, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2 जिला कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

4 सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी, सिमडेगा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक सिमडेगा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5 अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
सिमडेगा।